रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24032025-261902
CG-DL-E-24032025-261902

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1349] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 24, 2025/ चैत्र 3, 1947
No. 1349] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 24, 2025/ CHAITRA 3, 1947

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2025

का.आ. 1367(अ).— केंद्रीय सरकार ने, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या का.आ. 1115 (अ), तारीख 11 मार्च, 2025 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) तारीख 11 मार्च, 2025 को प्रकाशित की गई थी, जिसमें आवामी एक्शन कमेटी (एएसी) को विधिविरुद्ध संगम घोषित किया है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि, उक्त अधिनियम की धाराएं 7 और 8 के अधीन उक्त विधिविरुद्ध संगम से संबंधित, उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा भी किया जाएगा।

[फा.सं. 14017/5/2025/एनआई-एमएफओ]

अभिजीत सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 2025

S.O. 1367(E).— Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government has declared the Awami Action Committee (AAC), as an unlawful association *vide* notification number, S.O. 1115 (E), dated the 11th March, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), dated the 11th March, 2025;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 42 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby directs that all powers exercisable by it under sections 7 and 8 of the said Act shall also be exercised by the State Governments and the Union territory administrations in relation to the above said unlawful association.

[F.No.14017/5/2025/NI-MFO]

ABHIJIT SINHA, Jt. Secy.

.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.03.24 16:02:02 +05'30'